अनुदान संख्या 16 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 16 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	576,90,00	588,40,00	484,36,40	- 104,03,60
पूरक	Supplementary	11,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				100,05,58
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	23,46,00	28,22,00	22,14,11	- 6,07,89
पूरक	Supplementary	4,76,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,38,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹10403.60 लाख) अगस्त, 2011 और नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1150.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं ।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹10403.60 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1150.00 lakhs obtained in August, 2011 and November, 2011 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	1642.00	1508.56	1484.74	-23.82
पु.	R.	-133.44			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	30000.00	25000.00	25000.00	..
पु.	R.	-5000.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	2004.00	181.18	..	-181.18
पु.	R.	-1822.82			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
सिविल पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	11205.00	10930.81	10893.01	-37.80
पू.	S.	200.00			
पु.	R.	-474.19			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	5855.00	4193.29	4108.25	-85.04
पु.	R.	-1661.71			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	4051.00	4221.99	4171.73	-50.26
पू.	S.	950.00			
पु.	R.	-779.01			

(I) ₹2205.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1837.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "नागरिक पूर्ति - निदेशन और प्रशासन" -

(I) Provision of ₹2205.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these ₹1837.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Civil Supplies - Direction and Administration"-

(क) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" - ₹882.00 लाख;

(ख) "उपभोक्ता मंच का सुदृढ़ीकरण" - ₹185.00 लाख;

(खा) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" -

(क) "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹620.00 लाख; और

(ख) "वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" - ₹150.00 लाख ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता कल्याण निधि" के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत ₹1630.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1830.00 लाख कर दिया गया । तथापि, ₹502.16 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने और कोडीय औपचारिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग" के अंतर्गत ₹157.26 लाख की बचत (₹1642.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य, भंडारण और भांडागार - खाद्य सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों के आयात के कारण हुई हानियों को पूरा करने के लिए सहायिकी" के अंतर्गत ₹5000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई ।

(V) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत ₹115.27 लाख की बचत (₹8574.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपभोक्ता मंचों की नेटवर्किंग

(a) "Consumer Protection Cell" - ₹882.00 lakhs;

(b) "Strengthening of Consumer Forum"- ₹185.00 lakhs;

(B) "Other General Economic Services"-

(a) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- ₹620.00 lakhs; and

(b) "Strengthening of Forward Markets Commission"- ₹150.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Projects under Consumer Welfare Fund"- the original provision of ₹1630.00 lakhs was augmented to ₹1830.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹502.16 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of viable proposals and non-finalisation of codal formalities.

(III) Under Major Head "3451"-"Secretariat - Department of Consumer Affairs" - saving of ₹157.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1642.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) Under Major Head "2408"- "Food Storage and Warehousing - Food Subsidy - Subsidy for meeting losses on import of Pulses by PSUs"- saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under Major Head "3456" – "Direction and Administration - Consumer Protection Cell"- saving of ₹115.27 lakhs (against the sanctioned provision of

के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई ।

(VI) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बाटों और मापों का विनियमन - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹1329.63 लाख की बचत (₹3574.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा नामे दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई ।

(खा) "बाजारों का विनियमन - वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण" - ₹342.30 लाख की बचत (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराए के आवास को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई ।

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत ₹1037.84 लाख की बचत (₹1715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(VIII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹138.06 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 14 प्रतिशत थी ।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹174.59 लाख का अधिक व्यय (₹1676.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹80.10 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत था ।

₹8574.65 lakhs) was due to receipt of less demand from National Informatics Centre for the Networking of Consumer Fora.

(VI) Under Major Head "3475"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Weights and Measures – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- saving of ₹1329.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3574.00 lakhs) was due to non-raising of debit claims by the Director General of Supplies and Disposals.

(B) "Regulation of Markets – Strengthening of Forward Markets Commission"- saving of ₹342.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to non-finalisation of rented accommodation and economy measures.

(VII) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Strengthening Consumer Fora"- saving of ₹1037.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1715.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(VIII) Under two heads savings of ₹138.06 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 12 percent and 41 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Civil Supplies Scheme – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - excess of ₹174.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1676.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of ₹80.10 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹607.89 लाख) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹476.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं ।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹607.89 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹476.00 lakhs obtained in November, 2011 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	246.00	..	..	..
पु.	R.	- 246.00			
मुख्य शीर्ष "5425" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	1600.00	1612.00	1483.97	- 128.03
पु.	R.	12.00			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	500.00	872.00	730.14	- 141.86
पू.	S.	476.00			
पु.	R.	- 104.00			

(I) ₹246.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹222.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "नागरिक पूर्ति - राष्ट्रीय परीक्षण गृह" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए ।

(II) मुख्य शीर्ष "5475" - "नागरिक पूर्ति - क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं" के अंतर्गत ₹200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹237.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹437.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹121.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(III) मुख्य शीर्ष "5425" - "अन्य सेवाएं - राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹116.03 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुईं ।

(IV) मुख्य शीर्ष "5475" - "नागरिक पूर्ति - भारतीय विधिक मौसम विज्ञान संस्थान, रांची" के अंतर्गत ₹124.36 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा उपस्कर की पूर्ति में विलंब होने और नामे दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई ।

4. *उपभोक्ता कल्याण निधि:-*

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना 1991 में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार की गई थी । केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन जिस राशि की वापसी विनिर्माताओं को नहीं की जाती है, वह इस निधि में जमा हो जाती है ।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए । इन नियमों के बाद

(I) Provision of ₹246.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹222.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Civil Supplies - National Test House"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Regional Reference Standard Laboratories" - the original provision of ₹200.00 lakhs was augmented to ₹437.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹237.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹121.44 lakhs; and

(III) Under Major Head "5425" - "Other Services – Construction of Laboratory Building for National Test House"- saving of ₹116.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand from Central Public Works Department.

(IV) Under Major Head "5475" - "Civil Supplies - Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi" – saving of ₹124.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to delay in supply of equipment by Director General of Supplies and Disposals and non-submission of debit claims.

4. *Consumer Welfare Fund:-*

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th

में संशोधन 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रचालित किया जाता है ।

वर्ष 2011-2012 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2011-2012 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	105,73,98
प्राप्तियां	Receipts	2,54,00
अदायगियां	Payments	26,27,84
अंत शेष	Closing Balance	82,00,14